

राजस्थान - सरकार

शिक्षा - विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ20(101/02)आयो/निकाशि/2012/ 243

दिनांक: 14 जून, 2012

आदेश

वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजना मद के अन्तर्गत निम्नलिखित पाँच स्नातक स्तर के महाविद्यालयों को उनके सम्मुख दर्शाये गये विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएँ प्रारम्भ करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

बजट मद

- 2202 - सामान्य शिक्षा
- 03 - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा
- 103 - राजकीय कॉलेज तथा संस्थान
- (02) - राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय	स्वीकृत पद	विशेष विवरण
1	राज. महा., राजसमन्द	A.B.S.T.	व्याख्याता 02	
2	राज. महा., गंगापुरसिटी	राजनीति विज्ञान	व्याख्याता 02	

बजट मद

- 2202 - सामान्य शिक्षा
- 03 - विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
- 796 - अनुसूचित जनजाति के लिए
- 01 - राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)आयोजना

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय	स्वीकृत पद	विशेष विवरण
1	राज. महा., खैरवाडा	राजनीति विज्ञान	व्याख्याता 02	
2	राज. महा., लालसोट	राजनीति विज्ञान	व्याख्याता 02	

बजट मद

- 2202 - सामान्य शिक्षा
- 03 - विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
- 789 - अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र (विशेष संघटक योजना)
- 01 - अनुसूचित जातियों के लिए (विशेष संघटक योजना) आयोजना

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय	स्वीकृत पद	विशेष विवरण
1	राज. महा., केकडी	इतिहास	व्याख्याता 02	


उक्त पाँचों महाविद्यालयों के स्वीकृत स्नातक स्तर के प्राचार्य के पद (आयोजना भिन्न मद) को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आर्डर की माता...

क्रमांक: एफ20(101/02)आयो/निकाशि/2012/243-256 दिनांक: 14 जून, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान, जयपुर ।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- 3 कुल सचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय (जयपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन विषयों का बिना विलम्ब शुल्क सम्बद्धन की स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2012-13 की पालना की जा सके।
4. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राजस्थान, जयपुर-को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन विषयों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय (जयपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा) से बिना विलम्ब शुल्क सम्बद्धता जारी कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
5. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन उप सचिव आयोजना (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक मोनितरिंग आयोजना (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
11. संबन्धित प्राचार्य को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन विषयो में प्रवेश का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करें।
12. समस्त संयुक्त निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. डा. धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता वेबसाइट प्रभारी कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।


(डॉ. सी.एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक